न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

अपील संख्या 2015/00109 (39/2015) 223

गुरलाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़। —अपीलाण्ट

बनाम

1. गुरबचन सिंह } पिसरान बुटासिंह जाति कुम्हार साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया
2. गुरदेव सिंह } जिला हनुमानगढ़
3. रामजस पुत्र गुरबचन सिंह जाति कुम्हार साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. गुरजीत सिंह } पिसरान रामजस ना.ज.कु. बली माता कर्मजीत कौर पत्नि रामजस जाति
5. मनजीत सिंह } जाति कुम्हार साकिन बोलांवाली तहसील संगरियाजिला हनुमानगढ़
6. अजमेर कौर } पुत्रियां बुटासिंहजाति कुम्हार साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया
7. शेरकौर } जिला हनुमानगढ़
8. सुखमन्द सिंह पुत्र भोलोकौर पत्नि जगदेव सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति कुम्हार साकिन घुक्कियांवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा
9. तारा सिंह } पिसरान पुन्नी पत्नि मालासिंह पुत्र बूटा सिंह जाति कुम्हार साकिन पीलीबंगा
10. गुरजन्ट सिंह } गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
11. जगवीर सिंह }
12. मंडर सिंह }
13. अमरजीत कौर } पुत्रियां गुरबचन सिंह जाति कुम्हार साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया
14. जसवीर कौर } जिला हनुमानगढ़
15. चरणजीत कौर }
16. गुरप्रीत कौर }
17. कुलदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
18. सुरेन्द्रपाल सिंह } पिसरान सरजीत सिंह जाति जटसिखसाकिन बोलांवाली तहसील संगरिया
19. विरेन्द्रपाल सिंह } जिला हनुमानगढ़
20. सरजीत सिंह पुत्र भागा सिंह } जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला
21. करनैल कौर पुत्री भागा सिंह } हनुमानगढ़
22. गुरदेव कौर पुत्री भागा सिंह }
23. बलवीर कौरपुत्री भागा सिंह }

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

24. कुलराज सिंह
25. सुखदेव सिंह
26. बलदेव सिंह
} पुत्रगण स्व. सरजीत कौर जाति जटसिख साकिन सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

27. राजी कौर
28. बिन्दुकौर
} पुत्रियान स्व. सरजीत कौर जाति जटसिख साकिन सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

29. बन्ता सिंह
30. कलवन्त सिंह
} पिसरान [illegible] सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

31. मुख्त्यार सिंह
32. करतार सिंह
} पिसरान नन्द सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

33. जसपाल सिंह
34. बाघ सिंह
} पिसरान भागा सिंह उर्फ दुलासिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र सुंदर सिंह जाति छिम्पा साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

35. बलराम पुत्र लालु पुत्र श्री सुखा जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
36. मोहन लाल पुत्र मनीराम पुत्र श्री लालु जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

37. साहबराम
38. फूसाराम
39. रूपाराम
40. बोघाराम
} पुत्रगण भादर पुत्र सुखा जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

41. मेहरसिंह पुत्र श्री सरवण सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

42. बलदेव सिंह
43. अंग्रेज सिंह
} पिसरान गुरदयाल सिंह जाति जटसिखसाकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

44. जंगीर सिंह पुत्र समुन्द सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
45. अर्जन सिंह पुत्र संता सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

46. दलीप सिंह
47. जसवंत सिंह
48. पृथ्वी सिंह
} पिसरान नंदसिंहजाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

49. विचित्र सिंह
50. फलेल सिंह
} पिसरान भगवान सिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

51. मानकराम
52. पेमाराम
53. श्योकरण
} पिसरान लेखराम जाति जाट साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

54. लिछमण पिसरान बलुराम जाति जाट साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
55. मुखरामपिसरान बलुराम जाति जाट साकिन चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा
56. जसैल सिंह पुत्र हाकम सि[illegible] } जाति [illegible] साकिन लम्बीढाब तहसील संगरिया
57. सिमरजीत कौ[illegible] सिंह } जिला हनुमानगढ़
58. अमृतपाल सिं[illegible]
59. दिलबाग सिंह पुत्र सच्चा[illegible]

60. केवल सिंह
61. रमेश कुमार
62. विजय कुमार
} पिसरान दयालचंद जाति ब्राम्हण साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

63. दयालचंद पुत्र संतराम
64. दुलीचंद पुत्र खेमाराम
65. शलैन्द्र कुमार पुत्र कृष्णलाल
66. विजेन्द्र पुत्र बलराम पुत्र रामचंद
67. निहालचंद पुत्र दौलतराम पुत्र रामचंद
68. सुरेन्द्र कुमार } पिसरान लीलूराम
69. गोलुराम }
70. रामजीलाल पुत्र हेतराम
71. संजय कुमार पुत्र भागीरथ
72. शीशपाल पुत्र हरिराम
} जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

73. लेखराम
74. प्यारेलाल
75. मोहनलाल
76. सोहनलाल
} पिसरान हरिराम जाति ब्राम्हण साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

77. छिन्द्रपाल कौर पत्नि लाभसिंह जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ़

78. जसनदीप सिंह
79. कुलदीप सिंह
} पिसरान लाभसिंहजाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

80. बलदेव सिंह
81. रणजीत सिंह
82. सुखमन्द सिंह
} पिसरान सरजीत सिंहजाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

83. हरमेल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह
84. गुरमीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
} जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरियाजिला हनुमानगढ़

Lavio
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 14:11:20 IST
Reason: SelfAttested

85. कृपाल सिंह पुत्र बलदेव सिंह उर्फ फूल सिंह

86. नक्षत्र सिंह पुत्र मुकेद सिंह

87. गुरदेव सिंह पुत्र भागसिंह पुत्र माडासिंहजाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरियाजिला हनुमानगढ़

88. कृष्णराम पुत्र [illegible] साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

89. हीरालाल पुत्र हरबंशलाल [illegible] साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

90. मखन सिंह पुत्र सरजीत सिंह
91. सीतों उर्फ सीबो पुत्री हाकमसिंह
92. विजेन्द्र सिंह पुत्र हरमेल सिंह
93. सरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह
} जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

94. रामरख पुत्र गजूराम जाति जाट साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

95. जगदीश कौर पत्नि गुरजंट सिंह
96. मलकीत कौर पत्नि गुरजंट सिंह
} जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 10 संगरिया जिला हनुमानगढ़

97. बन्ता सिंह
98. कलवंत सिंह
} पिसरान सरदारासिंह पुत्र बोगा उर्फ बेगासिंह पुत्र सुंदर जाति जटसिख साकिन बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

99. शाखा प्रबंधक एम.जी.बी. बैंक शाखा संगरिया

100. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा संगरिया

101. शाखा प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ़

102. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा हनुमानगढ़ टाउन

103. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा संगरिया

104. तहसील (राजस्व) संगरिया

—रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.09.13 व डिक्री दिनांक 09.09.13 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उखण्डाधिकारी संगरियावाद संख्या 103/2011 बअनवानी गुरबचनसिंह आदि बनाम अजमेर कौर आदि

उपस्थितः—

श्री देवदत भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 3 ता 5

श्री मोहन मुन्जाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 13 ता 19

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार भोबिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

दिनांकः– 06.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य [illegible] 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88/53 आर[illegible] ए.एम.पी. खाता सं. 58/47 की 2.278 है0 चक 7 ए.एम.पी. खाता सं. 33/32 की 14.423 है0 व चक 7 ए.एम.पी. खाता सं. 61/57 की 14.196 है0 चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 55/62 की 1.772 है0 चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 97/86 की 20.750 है0 एवं चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 68/65 की .253 है0 कुल तादादी 65.059 है0 भूमि में रेस्पो0 सं0 1 ता 5 (वादीगण) व रेस्पो0 सं0 6 ता 16 को स्व. बूटासिंह पुत्र मलसिंह व सदाकौर पत्नि बूटासिंह के वारिस होना बताया। उपरोक्त भूमि में रेस्पो0 सं. 1 ता 16 को वारिस होना बताते हुए रेस्पो0 सं0 6 ता 16 द्वारा उक्त भूमि में अपना विरासतन हक रेस्पो0 सं. 1 ता 5 के पक्ष में तर्क करने का कथन किया एवं स्व0 बूटासिंह व सदाकौर की भूमि का रेस्पो0 सं. 1 ता 5 ने अपने को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा।साझा खाता के सहहिस्सेदारों के वारिसान को वाद में प्रतिवादी सं. 12 ता 86 तक बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। जबकि प्रतिवादी सं. 87 ता 91 पास आराजी रहन होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा स्वीकार कर वाद वाद डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 ता 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व खाता विभाजन हेतु वाद चक 5 ए.एम.पी. खाता सं. 58/47 की 2.278 है0 चक 7 ए.एम.पी. खाता सं. 33/32 की 14.423 है0 व चक 7 ए.एम.पी. खाता सं. 61/57 की 14.196 है0 चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 55/62 की 1.772 है0 चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 97/86 की 20.750 है0 एवं चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 68/65 की .253 है0 कुल तादादी 65.059 है0 भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किया था व वाद पत्र में रेस्पो. सं. 1 ता 5 ने स्वयं को मृतक बूटासिंह वल्द मलसिंह व सौदाकौर पत्नि बूटासिंह के वारिस होना व उनके हिस्सा की भूमि पर स्वयं काबिज होने का कथन किया। बूटा सिंह व सौदाकौर के अन्य वारिसान रेस्पों. 6 ता 28 द्वारा हिस्सा तर्क करने के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा, परन्तु वाद पत्र में यह कहीं भी कथन नहीं किया कि रेस्पों. सं. 1 ता 16, 20 ता 28 के पूर्वज बूटासिंह व सदाकौर का किस किस चक में कितना हिस्सा है व अपीलाधीन निर्णय में भी कहीं भी विवेचन नहीं किया है कि रेस्पों. सं. 1 ता 5 किस आधार पर बूटासिंह व सदाकौर के वारिस है। किस चक में बूटासिंह व सौदाकौर की कितना हिस्सा है। रेस्पोडेण्ट्स का काउण्टर क्लेम के संबंध मुं कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं। केवल मोखिक कथनों को मानते हुए घोषणा व विभाजन का वाद डिक्री किया है। चक 5 ए.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एम.पी के खाता 66/58 की 2.278 है0 भूमि में अपीलाण्ट का 1.139 हिस्सा है जो अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है बिना किसी आधार के रेस्पोडेण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 रामजस को ब.हि.ब को खातेदार घोषित कर दिया व अपीलाण्ट का नाम कलमजन करने का आदेश प्रदान किया है जबकि उनका इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है [illegible] सिंह के संयुक्त हिस्सा में दर्ज थी उस भूमि में विरेन्द्रपाल सिह रेस्पो0 सं0 [illegible] जीत सिह रेस्पोडेण्ट सं0 20 को 1.139 है0 का खातेदार घोषित कर दिया [illegible] तकौर के अन्य वारिसान के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नही किया हैं। भू धारक का कोई जवाब प्रस्तुत नही करवाया गया उसका जवाब बन्द कर दिया गया। प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई। बिना साक्ष्य लिये विभाजन के वाद में अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई जो विभाजन हेतु बनाये गये नियम 18 से 21 राजस्व मंडल के प्रावधानों के विपरीत ह जबकि खाता विभाजन की डिक्री में प्राथमिक डिक्री जारी की जानी आवश्यक है। प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04.06.2015 को हुई थी कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी के अभिभाषक के कहे जवाबदेी बंन्द करवा दी प्रार्थी को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नही है इसलिए प्रार्थी ने जानबूझकर अपील प्रसतुत करने में कोई देरी नहीं की है। जानकारी के अभाव में पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है इसलिए अपील जानकारी से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट के तथ्य मिथ्या, मनघड़ंत, गलत, बेबुनियाद हैं। अपीलाण्ट को वाद की पूर्ण रूप से जानकारी थी तथा अपीलण्ट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.09.2011 को जरिये अधिवक्ता हाजिर आ चुका था तथा अपीलाण्ट की प्रत्येक पेशी पर जरिये अधिवक्ता उपस्थिति रही है तथा अपीलाण्ट द्वारा वादपत्र को स्वीकार कर लिया था जिस कारण अपीलाण्ट द्वारा वाद पत्र का कोई जवाब पेश नही करना चाहा तथा दिनांक 05.09.2013 तक अपीलाण्ट द्वारा वास्ते जवाब 27 मौके प्राप्त करने के उपरान्त अपीलाण्ट द्वारा वाद पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब पेश नही करना चाहने की सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने परिवार के साथ विवाद हो जाने के कारण यह अपील पेश की हैं। अपील प्रस्तुत करने से हम रेस्पोडेण्टान के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लगभग 22 माह की लम्बी समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद अपीलाधीन आदेश को कानूनन चुनौती नही दी जा कसती है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को तंग व परेशान करने की गर्ज से झूठे व गलत आधारो पर अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 डीएनजे (एससी) पेज 764, आरआरडी 14.02.2015 पेज 84, आरआरटी 2018 (1) पेज 94, 2010 (1) पेज 400 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

[signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 19 ने कथन किया कि हमारा काउण्टर क्लेम का अनुतोष डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर [illegible] अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा [illegible] प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर हो[illegible] अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

8. रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 25.03.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उनके साथ प्रस्तुत दस्तावेज, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ होने एवं अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 ने घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 19, 20, 29 व 30 के द्वारा अपना काउण्टर क्लेम घोषणा व विभाजन हेतु पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री किया है। अपील में अपीलाण्ट ने चक 5 ए.एम.पी के खाता 66/58 की 2.278 है0 भूमि में अपीलाण्ट का 1.139 हिस्सा होना बताया है जिसमें रेस्पोडेण्ट सं0 1 व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 रामजस को ब.हि.ब को खातेदार घोषित कर दिया व अपीलाण्ट का नाम कलमजन करने का आदेश प्रदान किया है। यह बिन्दू उभयपक्ष के साक्ष्यों के उपरान्त ही तय किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में विधि अनुसार दावा एवं काउण्टर क्लेम पेश होने पर तनकीयात कायम की जानी चाहिए थी और तनकीयात कायम कर उभय पक्ष से साक्ष्य लिये जाकर प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है। इतना ही नही अधीनस्थ न्यायालय ने खाता विभाजन के वादों में प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना ही अन्तिम डिक्री पारित की है, जो विभाजन हेतू बनाये गये राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए, साक्ष्य सुनवाई कर, प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.09.2013 व डिक्री दिनांक 09.09.2013 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए, साक्ष्य सुनवाई कर प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार से राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अंतिम डिक्री पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11\. निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:20 IST
Reason: SelfAttested

6/9/21

(करतार सिंह पूनियाँ आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)